

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० साधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6 जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर-302017

0141-2701596

E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/कला उत्सव/2020-21/16548

दिनांक 10/11/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एच एचएन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जिला- समस्त जिले।

विषय :- जिला स्तरीय कला उत्सव -2020-21 आयोजन बाबत।

सन्दर्भ :- रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/कला उत्सव/2019-20/16259 दिनांक 28.10.2020

विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020-21 के लिए जिला स्तरीय कला उत्सव-2020 का आयोजन दिनांक 23-25 नवम्बर 2020 के मध्य (2 दिवसीय) जिला मुख्यालय पर किया जाना किया जाना है। इस आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

- कला उत्सव 2020-21 का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक जिला विद्यालय स्तर से प्रविष्टियों के वीडियो, फोटोग्राफ प्राप्त करने हेतु गूगल फार्म/सोशल मीडिया पर प्लेटफार्म उपलब्ध कराये।
- जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठन किया जाये एवं समय पूर्व सभी सदस्यों को सूचित व आमंत्रित करें।
- कला उत्सव आयोजन के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्र, फ्लैक्स व बैनर आदि की व्यवस्था कर प्रमुख स्थानों पर लगवाये जाये।
- कला उत्सव आयोजन के फोटोग्राफ, सी.डी व अन्य अभिलेख राज्य स्तरीय आयोजन हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला स्तरीय कला उत्सव के समापन के ठीक पश्चात प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागियों की सूचना परिशिष्ट-1 में राज्य कार्यालय को भिजवाये।

जिला स्तरीय वित्तीय प्रावधान

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)
1.	पुरस्कार - प्रथम 18 @ 600/- पुरस्कार - द्वितीय 18 @ 500/- पुरस्कार - तृतीय 18 @ 300/-	प्रथम - 10800 द्वितीय - 9000 तृतीय - 5400 योग - 25200
2	मडल/ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र	1200
3	प्रचार - प्रसार, बैनर	500
4	कॉन्टिजेंसी, फोटोग्राफी अभिलेख संधारण	800
5	Case Study / Best Practice (प्रत्येक जिले से एक विद्यालय) *	1500
	कुल योग	29200

- उक्त वित्तीय प्रावधान में क्र.सं 1 के अतिरिक्त अन्य सभी मदों में प्रस्तापित राशि में आवश्यकतानुसार समिति द्वारा निर्णय लेकर सूक्ष्म परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भागसाहो का सहयोग लिया जावे।

कला उत्सव हेतु राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है वय्य उसी मद में ही किया जाए।
- वय्य राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।